संख्या-54/2022/2474/22-2-2021-17(936)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2022*

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्दकिशोर पुत्र श्री शिवपूजन, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे-5-दया0 बैठक-09-09-2020 दिनांक 27-10-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नन्दकिशोर पुत्र श्री शिवपूजन, जो मल्लाही चक खादीपुर, थाना-बासडीह, जनपद-बलिया का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुलिस के साथ मिलकर गांव में शातिर अपराधी व अन्य लोगों के घरों में दबिश देने की रंजिश को लेकर दिनांक 04.07.2007 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी तथा जमीनी विवाद के कारण दिनांक 04.07.2006 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फायर करके 02 लोगों को घायल करके अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-217/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश एक्स कैडर, बलिया के आदेश दिनांक 07.03.2013 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.12.2015 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-251/2006 में भा0द0वि0 की धारा-307, 324, 504, 506, 336 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया के आदेश दिनांक 27.09.2013 द्वारा 11 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.09.2021 तक 08 वर्ष 05 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 00 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, बलिया ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध कर सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा पुलिस अधीक्षक, एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, बलिया की आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता भोगी गयी सजा, बन्दी की उम्र (51) वर्ष तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी नन्दकिशोर (बन्दी संख्या-376/2014) पुत्र श्री शिवपूजन, निवासी जनपद-बलिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-54/2022/2474(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।